

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 25/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

- 1 मु0 अजरा पुत्री अहमद खा मुसलमान
- 2-4 अब्बास, असलम, इमरान पत्र अहमद खां मुसलमान
- 5 मु0 दौलतबानु पुत्री अहमद खां मुसलमान
- 6 मु0 नूरबानु बेवा अहमद खा मुसलमान निवासियान शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1 भवरलाल मुतबन्ना हाथीराम खारोल
- 2 रामरतन पिता भवरलाल खारोल
- 3 गोपाल पिता मांगीलाल खारोल
- 4 मांगीलाल पिता हीरा खारोल
- 5 रामेश्वर पिता कल्याण खारोल
- 6 बन्ना पिता रामा खारोल
- 7 मु0 जमनी पुत्री मांगीलाल खारोल
- 8 जमनालाल पिता रामलाल खारोल
- 9 सोनाथ पिता हीरा खारोल
- 10 मु0 भूला पुत्री मांगू खारोल निवासियान कल्याणपुरा, तह0 शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री त्रिलोक चन्द नौलखा
अधिवक्ता प्रर्थी

:-: निर्णय :-:

दिनांक- 05/10/2020

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीगण के ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 690 रकबा 0.83, 709 रकबा 0.11 कुल किता 2 रकबा 0.94 हैक्टेयर हैक्टेयर का प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम कल्याणपुरा संवत 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण खातेदार/ संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कल्याणपुरा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 2 रकबा 0.94 हैक्टेयर हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी ऑफ सीजन में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 200/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्वा पेश करें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/10/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
महायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
राजस्थान (भीलवाड़ा)

नोटिफिकेसि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।



उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
महायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
राजस्थान (भीलवाड़ा)